न्यायालय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण बस्तर स्थान जगदलपुर के न्यायालय का दावा निष्पादन क्रमांक 38/2022 पक्षकार संपत बघेल व अन्य विरूद्ध सुखचंद कश्यप व अन्य पारित आदेश दिनांक 20/7/2026 में अभिलिखित।

20/07/2026 डिक्रीधारा द्वारा श्री तरूण चौहान अधिवक्ता।

निर्णित ऋणीगण अनुपस्थित।

आदेशानुसार तलवाना अदा नहीं।

डिक्रीधारी के द्वारा अंतिम बार दिनांक 07.08.2025 को तलवाना अदा किया था। किन्तु उसके बाद डिक्रीधारी द्वारा तलवाना अदा किये जाने में कोई रूचि नहीं दिखायी दी। प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है एवं माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के वेब साईड के अनुसार निष्पादन की कार्यवाही को माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित किया जाना प्रकट भी नहीं होता, किन्तु उसके बावजूद डिक्रीधारी के द्वारा तलवाना अदा न किया जाना यह दर्शाता है कि डिक्रीधारी की प्रकरण के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत पैरियामल्ल विरूद्ध वी राजामणी सिविल अपील क्रमांक 3640-3642/2025 के अंतर्गत निष्पादन प्रकरण 06 माह के भीतर निराकृत किये जाने का निर्देश दिया है।

अतैव प्रकरण डिक्रीधारी द्वारा प्रकरण में कोई रूचि न लिये जाने के कारण आदेशानुसार तलवाना अदा न किये जाने के चलते डिक्रीधारी के इस विकल्प के साथ निरस्त किया जाता है कि वह नियत समयावधि के भीतर पृथक से दावा प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार जमा किया जावे।

सही/-
(सिद्धार्थ अग्रवाल)
प्रथम अपर मो.दुर्घ.दावाधिकरण
बस्तर, स्थान जगदलपुर (छ.ग.)